न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट /बालक न्यायालय हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010079082024

Sessions Case/1305/2024

State of U.P. Vs. Bal apchari Avadhesh

सत्र परीक्षण संख्या 1305/2024

मु0अ0सं0 404/2022

सरकार बनाम बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू

अर्न्तगत धारा 363,370(4),120–बी भा0द0सं0,

थाना– गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड

09.01.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू के विरूद्ध धारा 363,370(4),120–बी भा0द0सं0 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 04.02.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)

दि0 09.01.2025

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
बालक न्यायालय हापुड।

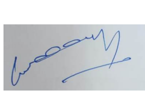

Digitally signed by
Umakant jindal
Date: 2025.01.09
16:55:14 IST
Reason: charge
Location: District and
Sessions Court
Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट /बालक न्यायालय हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010079082024

Sessions Case/1305/2024

State of U.P. Vs. Bal apchari Avadhesh

सत्र परीक्षण संख्या 1305/2024

मु0अ0सं0 404/2022

सरकार बनाम बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू

अर्न्तगत धारा 363,370(4),120–बी भा0दं0सं0,

थाना– गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू पर यह आरोप लगाता हूॅ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 14/15.08.2022 को रात्रि समय 12 से 2 बजे के मध्य पार्किंग न0 2 एन0एच0 09 ब्रजघाट थाना– गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड में आपने सहअभियुक्तगण ओमदत्त, रोदास उर्फ रोहताश, विपिन कुमार शर्मा , रिंकू उर्फ राजेन्द्र कुमार , वैभव शर्मा , सोनी शर्मा के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुए वादिनी के 18 माह के बच्चे का अपहरण कर लिया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 363/120–बी के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण ओमदत्त, रोदास उर्फ रोहताश, विपिन कुमार शर्मा , रिंकू उर्फ राजेन्द्र कुमार , वैभव शर्मा , सोनी शर्मा के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुए वादिनी के 18 माह के बच्चे का दुर्व्यापार करने के आशय से उसका अपहरण कर लिया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 370(4)/120–बी के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 09.01.2025

आरोप बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । बाल अपचारी ''ए''पुत्र बुद्धू ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 09.01.2025